

14-2-23 वादी द्वारा प्रकरण को विद्रा करने बाबत
पार्थना-पत्र पेश करने पर परावर्ती तलब
की गयी प्रस्तुत पार्थना-पत्र अनुसार
वादी उक्त वाद को चलाना नहीं चाहते
हैं।

हमने प्रस्तुत पार्थना-पत्र का अवेकॉफन
कि या एवं वादी को सुना। वादी की पहचान
की ल वादी द्वारा की गयी वादी ने पहचान
बाबत स्व हस्ताक्षरित आधार कार्ड सं.
252077949603 की प्रति पेश की। चूंकि
वादी उक्त वाद को चलाना नहीं चाहते
हैं। अतः वादी का वाद विद्रा करने की



अनुमति दी जाती है
पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नम्बर
से कम हो।



अखण्ड अधिकारी
रुणनगर (अजमेर)